



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1943 (श10)
(सं0 पटना 517) पटना, सोमवार, 14 जून 2021

okf.kT; &dj foHkx

अधिसूचना

14 जून 2021

vf/kIpuk l;[;k 04@2021&jkT; dj %nj%

एस० ओ० 104 दिनांक 14 जून 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 554 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) में, मद (iv) में, उप मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -:

“बशर्ते कि 14 जून, 2021 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2021 के समाप्त होने तक की अवधि में, उप मद (च) में निर्दिष्ट सेवा विवरण पर राज्य कर, कॉलम (4) में निर्दिष्ट दर के बावजूद, 2.5% की दर से लगेगा।”

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13) 04)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

14 जून 2021

एस० ओ० 104, दिनांक 14 जून 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13) 04)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 14th June 2021

Notification No 04 /2021 – State Tax (Rate)

S.O. 104. Dated 14th June 2021—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554 dated the 29th June, 2017, namely:-

2. In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (iv), after clause (f), the following shall be inserted, namely, -

“ *Provided* that during the period beginning from the 14th June, 2021 and ending with the 30th September, 2021, the state tax on service of description as specified in clause (f), shall, irrespective of rate specified in column (4), be levied at the rate of 2.5 per cent.”;

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 04)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 517-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>